निर्देश सं० - 53

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती के क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, (एसटीसी बिल्डिंग
टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001

संख्या-ए-110018/01/2021-CAQM-6510-6518 **दिनांक: 04 फरवरी, 2022**

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 12 के तहत दिशा-निर्देश – दिनांक 15.12.2021 की निर्देश संख्या 49 की समीक्षा।

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रदुशंकारी ईंधन जैसे कोयला आदि का उपयोग करने वाले उद्योगों से होने वाले उत्सजन का वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अयोग की यह प्राथमिकता रही है कि उद्योगों को पी. एन. जी. / स्वच्छ इंधन में स्थानांतरण किया जाए ।

2. जबकि, इस आशय के लिए, अयोग ने दिनांक 12.08.2021, निर्देश संख्या 31 के माध्यम से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों को निर्देश दिया था: -

(i) उन उद्योगों का लेखा परीक्षा और निरीक्षण करना जो पहले से ही पी. एन. जी. आपूर्ति से जुड़े हुए हैं और सुनिश्चित करें कि वे उद्योग किसी अन्य प्रदूषणकारी इंधन जैसे कोयला आदि का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

(ii) संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से एनसीआर में गैर अनुमोदित ईंधन के उपयोग को रोकने के लिए "कड़ी निगरानी" बनाए रखना और चूक करने वाली ईकाएयाँ मामले में कड़ी कार्रवाई करना।

(iii) सभी पहचान की गई उद्योग इक्काईयों को पी. एन. जी. में बदलने के लिए स्पष्ट रूप से निश्चित समय-सीमा को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करके कार्य योजना तैयार करना, जहाँ बुनियादी ढांचा अवसरंचना और गैस की आपूर्ति पहले से ही उपलब्ध है।

(iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ज़िलों ,के विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर आनेवाले औद्योगिक क्षेत्रों में गैस की आपूर्ति करने के लिए। शेष औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी और अवसंरचना की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत संस्थाओ से परामर्श से एक समय बढ़ व्यापक कार्य योजना तैयार करना;

3. जबकि, अन्य बातों के साथ-साथ , दिनांक 16.11.2021 के निर्देश संख्या 44 के सन्दर्भ में यह भी दोहराया गया था कि "एन. सी. आर." में गैस कनेक्टिविटी वाले सभी उद्योगों को केवल इंधन के रूप में गैस पर चलाया जाएगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी उद्योगों , जहाँ गैस की आपूर्ति उपलब्ध है उसे तुरंत गैस में परिवर्तित कर दिया जाएगा और राज्य सरकार उद्योग –वार शिफ्टिंग की तारीख प्रस्तुत करेंगे।

4. जबकि, दिनांक 02.12.2021 के निदेश संख्या 46 के संदर्भ वायु गुणवत्ता प्रतिकूल होने कारण यही निर्देश दिया गया था कि दिल्ली एन.सी.आर. में सभी औद्योगिक संहालन एवं प्रक्रियाए जो पीएनजी या स्वाच इंधन पर नहीं चल आहे हैं उन्हें प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक 08 घंटे काम करने दिया जाएगा। और उन्हें शनिवार और रविवार को सञ्चालन करने की अनुमत नहीं होंगी।

5. जबकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने "आदित्य दुबे एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य "मामले में दिनांक 03.12.2027 के अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि सभी उद्योगों को पीएनजी/स्वच्छ ईंधन में समयबद्ध तरीके से परिवर्तन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. जबकि, बार-बार अनुवर्ती के बावजूद, इस तरह के परिवर्तन के लिए निश्चित समय सीमा का संकेत देने वाली कार्य योजना. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उन क्षेत्रों के संबंध में जहां गैस अवसंरचना/आपूर्ति पहले से ही उपलब्ध है, पीएनजी/स्वच्छ ईंधनों को औद्योगिक इकाइयों की संख्या उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राज्य सरकारों द्वारा अभी तक आयोग को प्रस्तुत नहीं की गई है;

7. जबकि, दिनांक 10.12.2021 के उपर्युक्त संदर्भित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में आयोग को निर्देश दिया गया है। माननीय-सर्वोच्च न्यायालयों के आदेशों के आधार पर या आयोग के निर्देशों/आदेशों के आधार पर लगाई गई शर्तों में छूट के बारे में विभिन्न उद्योगों और संगठनों के अनुरोधों की जांच करने के लिए निर्देश दिए गए है । (दैनिक आधार पर सञ्चालन पर घंटों की संख्या पर किसी प्रतिबन्ध के बिना) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उन उद्योगों के संबंध में निर्देश संख्या 49 जारी किया गया था जो अभी तक पीएनजी / स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित नहीं हुए हैं, ऐसे उद्योगों को सप्ताह में केवल 5 दिनों संचालन करने के लिए आदेश दिए गये है। (दैनिक आधार पर संचालन पर घंटों की संख्या पर किसी प्रतिबंध के बिना)

8. जबकि, यह भी स्पष्ट किया गया था कि निदेश संख्या 49 के तहत एन. सी. आर. में शर्तें ऐसे उद्योगों पर भी लागू होंगी, जिन्होंने अपनी औद्योगिक इकाइयों में पीएनजी/गैस की आपूर्ति होने के बावजूद, अब तक अपने प्रचालनों को आंशिक रूप से पीएनजी में परिवर्तित कर दिया है और अन्य ईंधनों पर भी चलना जारी रखा है, तथापि, संबंधित ऐसी व्यक्तिगत औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए जाने वाले एक निश्चित और व्यवहारिक समय-सीमा के तहत प्रयत्न करना होगा।;

9. जबकि, उपर्युक्त दिशा निर्देश संख्या 49 पारित करते समय दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (ए. क्यू.आई.) "गंभीर" श्रेणी में था ।

10. जबकि, विभिन्न संगठनों / संघों / संस्थाओं और व्यक्तियों जैसे कि ऑल इंडियन डिस्टिलर्स एसोसिएशन, इंडियन पेपर मनुफक्टुरेर्स एसोसिएशन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पानीपत एक्सपोर्टस एसोसिएशन, गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन गुरुग्राम, चैम्बर्स ऑफ़ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, गाज़ियाबाद, इंडस्ट्रियल फेडरेशन गाज़ियाबाद, शाहिबाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, गुरुग्राम चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन , बेहरोर, अलवर, नीमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडस्ट्रीज एंड कमेरे अलवर, भिवादी रोलिंग मिल्स एसोसिएशन, अलवर और मत्स्य उद्योग संघ, अलवर ने अयोग के समग्रे भी प्रस्तुतीकरण/प्रतिवेधन दी जिसमें उन्होने उद्योग क्षेत्रों में एनसीआर उद्योगों के बारें में जो कि पीएनजी का इंधन के तौर पर प्रयोग नहीं कर जाही हैं में सीमित सञ्चालन से छूट लेने के लिए अनोरोध किया था और कुछ संघों / और व्यक्तियों की भी इस सम्बन्ध में सुनवाई की गयी थी।

11. जबकि, उपरोक्त विचार-विमर्श के दौरान अधिकांश उद्योगों द्वारा मुख्य विवाद और चिंता व्यक्त की गई कि अनिवार्य तकनीकि आवश्यकता निवाध/ लम्बे समय तक विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओ के सञ्चालन के लिए कुल घंटे है और प्रक्रियागत वस्तु सूची में भारी, मुक्सान और क्षति से बचाव किया जाना चाहिए।

12. जबकि, अयोग को सूचित किया गया था कि कुछ इक्काईयों ने सम्बंधित एजेनसियों को गैस आपूर्ती के लिए कहा है लेकिन गैस संरचना/आपूर्ती अभाव में पीएनजी में परिवर्तन के लिए असमर्थ है और जो इक्काईयाँ पी.एन.जी. से नहीं जुडी है उन्होंने सूचित किया है कि पीएनजी में परिवर्तन करेंगे।

13. जबकि, सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोकता मामलें मंत्रालय, भारत सरकार ने भी एन. सी.आर. में डिस्टिलरी का सञ्चालन जारी रखने के लिए अनुरोध किया है जिससे एथेनॉल को पेट्रोल से सम्मिश्रण के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

14. जबकि, बड़ी संख्या में संघों, और व्यक्तियों ने आयोग के समक्ष अनुरोध किया है कि पीएनजी के अतिरिक्त जैविक इंधन का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएँ जिसमें हवाला दिया है कि जीवाश्म इंधन (फॉसिल फ्यूल) जैसे जैविक आधारित इंधन पर्यावरण के बहुत अधिक अनुकूल है। जिसमें कार्बन उत्सर्जन के सन्दर्भ में एच. एस. डी. और कोयला आदि जैसे इंधन और भी उनके पीएम उत्सर्जन बहुत नियंत्रित हैं।

15. जबकि, तेन्नीकी और व्यक्तिगत क्षेत्रों में मूल्याङ्कन किया गया और अयोग में विस्तार से विचार विमर्श किया गया।

16. जबकि, जी.एन.सी.टी.डी. के अलावा एन.सी.आर. में औद्योगिक क्षेत्रों की अधिकाँश उद्योगों में, जहां गैस बुनियादी ढांचा और आपूर्ती उपलब्ध है, वेह अभी भी पूर्ण रूप से पीएनजी/स्वच्छ इंधन पर सञ्चालन नहीं कर रहे है और प्रद्रूषनकारी इंधन जैसे, कोयला , एचएसडी आदि का प्रयोग कर रहे।

17. जबकि, डेल्ही का वायु गुणवत्ता सुच्कान्क में तब के 'गंभीर' श्रेणी से काफी सुधार हुआ है और वर्त्तमान में "खराब" श्रेणी में है और पूर्वानुमान बताता है कि हवा की गुणवत्ता और ख़राब होने की सम्भावना नहीं है।

18. अब, इसलिए , एन.सी.आर. , में उद्योगों के सम्बन्ध में, जो कि प्राकृतिक गैस के बुनियादे ढांचे और आपूर्ति की उपलब्धता के बावजूद पीएनजी/स्वच्छ इंधन में, परिवर्तित नहें हुए हैं। विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियायों की तेक्नीकी अवश्यक्तायों और प्रचलित प्रवरिती को धयन में रखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन अयोग, दिनांक 15.12.2021 के निर्देश संख्या 49 में तत्काल प्रभाव से, अगले आदेश तक, एततद्वारा सप्ताह में केवल 05 दिनों के लिए ऐसे उद्योगों के सञ्चालन पर लगाये गए प्रतिवंधों में ढील देता है और सभी के संचालन की अनुमति देता है। इसका सञ्चालन सख्ती से अनुपालन किया जाएगा :-

एक सप्ताह में और सप्ताह के दौरान सभी दिनों के लिए संचालन की अनुमति देना, सख्ती से फोफिंग के अधीन

(i) (यदि एनसीआर में उपर्युक्त रूप में स्थित ऐसे उद्योग, जीएनसीआरडी के अधिकार क्षेत्र से परे, सभी परिस्थितियों में पूरी तरह से पीएनजी या बायोमास ईंधन पर स्विच कर देंगे, जो 30.09.2022 तक नवीनतम होगा, जिसमें विफल होने पर ऐसे उद्योगों को बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद अपने संचालन को शेड्यूल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) जब तक उपर्युक्त ईंधनों में संक्रमण प्रभावी नहीं हो जाता, तब तक ऐसे उद्योग औद्योगिक प्रचालनों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित केवल ऐसे ईंधनों का उपयोग करेंगे।

(iii) जीएनसीटीडी के क्षेत्राधिकार में उद्योगों को अनिवार्य रूप से केवल पीएनजी और बिजली पर चलाया जाएगा।

: (यदि एनसीआर में ऊपर स्थित ऐसे उद्योग, जीएनसीआरडी के अधिकार क्षेत्र से परे, सभी परिस्थितियों में पूरी तरह से पीएनजी या बायोमास ईंधन पर स्विच करेंगे, 30.09.2022 तक नवीनतम, जिसमें विफल रहने पर ऐसे उद्योगों को बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद अपने संचालन को शेड्यूल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(19. उन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जहां पीएनजी अवसंरचना और आपूत उपलब्ध नहीं है, ऐसे उद्योगों को सप्ताह में 7 दिनों के लिए अपने प्रचालनों को निर्धारित करने की भी अनुमति दी जाएगी। तथापि, ऐसे उद्योग बायोमास ईंधनों पर यथाशीघ्र प्रचालन करने की भी योजना और स्विचओवर करेंगे जब तक यह संक्रमण प्रभावी नहीं हो जाता, तब तक ऐसे उद्योग औद्योगिक प्रचालनों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित केवल ऐसे ईंधनों का ही उपयोग करेंगे।

20. उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों की प्रभावशीलता और उत्सर्जन के निर्धारित मानकों के पालन से संबंधित सभी निवारक उपाय। संबंधित ईंधन / उद्योग। श्रेणी, जैसा कि समय-समय पर लागू होता है, इस एनसीआर में सभी औद्योगिक इकाइयों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

21. तथापि, यह निदेश उन प्रस्तावकों/इकाइयों के संबंध में लागू नहीं होता है जहां औद्योगिक गतिविधियों के निलंबन/समापन के लिए विशिष्ट आदेश जारी किए गए हैं और ऐसी इकाइयां इस निदेश पर अपनी औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू नहीं करेंगी। यह दोहराया जाता है कि ऐसी इकाइयों / समर्थकों को अलग से और व्यक्तिगत रूप से आयोग से संपर्क करना होगा या औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए एक उपयुक्त निर्णय लेना होगा।

आर्डर नो. ए-110018/01/2021-CAQM दिनांक 16.12.2021.

हस्ता०
(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव
दू. नो. 011-23701197
ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार
4. मुख्य सचिव, एन सी आर क्षेत्र , दिल्ली सरकार

प्रतिलिपि:

1.अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. अध्यक्ष, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
3. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
4. अध्यक्ष, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
5. अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण कण्ट्रोल समिति

(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव